कृषक उपहार योजना

कृषि विपणन व्यवस्था को भूमण्डलीकरण की कृषि बाजार चुनौतियों से मुकाबले के लिए सक्षम बनाना होगा। कृषि विपणन की आधुनिकतम वैज्ञानिक सोच को दूरस्थ खेतों तक पहुंचाना होगा। इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि धरती पुत्र खून पसीना एक करने पर भी ठगा नहीं जाए। कृषक उपहार योजना इसी दिशा में मंगल ध्वनि है।

राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डियों के प्रांगण किसानों को कृषि उपजों के प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाये जाने की दृष्टि से उपयुक्त प्लेटफॉर्म है। जहां किसानों की रात–दिन कडी मेहनत से की गयी पैदावार का E-Nam पर खुली निलामी से विक्रय होता है। किसानों की कृषि जिन्सों के E-Nam पर विक्रय हेतु प्रोत्साहन स्वरूप कृषक उपहार योजना को पूर्व में संचालित योजना से संशोधित स्वरूप में पुनः प्रारंभ किया गया है।

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री

कृषक उपहार योजना

(1 अक्टूबर 2021 से 30 सितम्बर 2022 तक)

कृषक की शोषण से मुक्ति

कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा विभिन्न प्रकार के शोषण से मुक्ति दिलाने में कृषि विपणन से जुडी कृषि उपज मण्डियां महत्वपूर्ण संस्थाएं है। कृषकों का मण्डियों से जुड़ाव बढाया जाकर विपणन व्यवस्था का और अधिक सुदृढीकरण किया जाना है।

कृषकों की सहभागिता

कृषि विपणन व्यवस्था को गतिशील स्वरूप देने के लिए रचनात्मक प्रयास कर कृषकों की प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य के माध्यम से आय में वृद्वि की जानी है।

''कृषकों की सहभागिता'' को उत्तरोतर गतिशील बनाये रखने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कृषि विपणन निदेशालय द्वारा 01 अक्टूबर 2021 से ''कृषक उपहार योजना'' का संचालन किया जाना है।

लाभान्वितों में छोटा किसान भी

यह योजना छोटे किसानों से लेकर उस हर विक्रेता व्यक्ति के लिए है जो मण्डी में आकर अधिघोषित कृषि जिन्सों की बिक्री करता है। योजना 01 अक्टूबर 2021 से 30 सितम्बर 2022 तक के लिए होगी।

उपहार कूपन

Unique Number of sale slip के आधार पर उपहार कूपन नम्बर Digital message द्वारा संबंधित को प्रेषित किया जावेगा। उपहार कूपन Online Software के माध्यम से जारी किये जायेगे।

पुरस्कृत कृषक

पुरस्कृत व्यक्ति को परिणाम की घोषणा के समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस में सम्बन्धित मण्डी समिति अथवा क्षैत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग अथवा निदेशक, कृषि विपणन विभाग को लॉटरी के स्तर अनुसार संबंधित कार्यालय में अपनी पहचान सहित आवेदन करना होगा।

कृषक उपहार योजना– प्रक्रिया

योजना अवधि में किसी भी कृषि उपज मण्डी समिति में अधिसूचित कृषि जिन्सों के E-Nam पर बेचान करने पर बेचने वाले किसान को विक्रय पर्ची पर **E-Nam** पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क उपहार कूपन जारी किया जावेगा। निःशुल्क जारी कूपनों पर निर्धारित तारीख को इनामी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें निम्न पुरस्कार दिये जायेंगेः–

मण्डी स्तर पर

	गेट पास की विक्रय पर्चियों पर	E-Payment की विक्रय पर्चियों पर
प्रत्येक छः माह में	प्रथम पुरस्कार (1) 25 हजार	प्रथम पुरस्कार (1) 25 हजार
	द्वितीय पुरस्कार (1) 15 हजार	द्वितीय पुरस्कार (1) 15 हजार
	तृतीय पुरस्कार (1) 10 हजार	तृतीय पुरस्कार (1) 10 हजार

खण्ड स्तर पर

प्रत्येक छः माह में	प्रथम पुरस्कार (1)	50 हजार
	द्वितीय पुरस्कार (1)	30 हजार
	तृतीय पुरस्कार (1)	20 हजार

राज्य स्तर पर

वर्ष में एक बार	प्रथम पुरस्कार (1)	2.5 लाख
	द्वितीय पुरस्कार (1)	1.5 लाख
	तृतीय पुरस्कार (1)	1 लाख

ड्रॉ समिति

योजना के पुरस्कारों का ड्रॉ राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा निकाला जावेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगेः

मण्डी स्तर परः–

- क्षैत्रीय संयुक्त/उप निदेशक या प्रतिनिधि – सदस्य
- अध्यक्ष/प्रशासक मण्डी समिति – अध्यक्ष
- सचिव मण्डी समिति –सदस्य सचिव

खण्ड स्तर परः–

- क्षैत्रीय संयुक्त/उप निदेशक –सदस्य सचिव
- खण्ड मुख्यालय की मण्डी का प्रशासक/अध्यक्ष –अध्यक्ष
- खण्ड मुख्यालय की मण्डी का सचिव – सदस्य

राज्य स्तर पर:–

- प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग – अध्यक्ष
- प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड – सदस्य
- निदेशक, कृषि विपणन विभाग – सदस्य सचिव

उक्त वर्णित ड्रा समितियों में एक ही अधिकारी के दो पदों पर कार्यरत होने की स्थिति में मण्डी स्तरीय समिति तथा खण्ड स्तरीय समिति में निदेशक कृषि विपणन विभाग तथा राज्य स्तरीय समिति में प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि द्वारा किसी अन्य अधिकारी का मनोनयन किया जा सकेगा।

पुरस्कार कैसे प्राप्त करें–

- कृषि उपज को E-Nam पोर्टल के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर विक्रय कर लाभ कमायें।
- कृषक को E-Nam पोर्टल के माध्यम से विक्रित कृषि जिन्स की जारी विक्रय पर्ची पर ही उपहार कूपन देय होगा।
- योजना के संबंध में उत्पन्न विवाद/संशय का निस्तारण/निर्णय निदेशक, कृषि विपणन विभाग द्वारा किया जायेगा, जो अन्तिम होगा।
- कृषक उपहार योजना के न्यायिक विवाद का निस्तारण का न्यायिक क्षेत्र न्यायालय निदेशक कृषि विपणन विभाग, जयपुर को होगा तथा पारित निर्णय अन्तिम होगा, जिसें मानने के लिए संबंन्धित पक्षकार बाध्य होगें।

राजस्थान के कृषकों के लिए अनुपम भेंट
कृषक उपहार योजना

योजना अवधि 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितम्बर 2022 तक

आम के आम गुठलियों के दाम–कृषक उपहार योजना का यह पैगाम

- कृषि उपज को E-Nam पोर्टल के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर विक्रय कर लाभ कमायें।
- एक बार या योजना अवधि में अनेक बार में विक्रय की गई कृषि जिन्सों की E-Nam पर जारी विक्रय पर्ची /पर्चियों पर निःशुल्क उपहार कूपन जारी किया जायेगा।

वर्ष 2021 में निकाले जाने वाले ड्रा में उपहार कूपनों के लाखों रूपये के उपहार प्राप्त कर सकते है।

मण्डी स्तर पर

	गेट पास की विक्रय पर्चियों पर	E-Payment की विक्रय पर्चियों पर
प्रत्येक छः माह में	प्रथम पुरस्कार (1) 25 हजार	प्रथम पुरस्कार (1) 25 हजार
	द्वितीय पुरस्कार (1) 15 हजार	द्वितीय पुरस्कार (1) 15 हजार
	तृतीय पुरस्कार (1) 10 हजार	तृतीय पुरस्कार (1) 10 हजार

खण्ड स्तर पर

प्रत्येक छः माह में	प्रथम पुरस्कार (1)	50 हजार
	द्वितीय पुरस्कार (1)	30 हजार
	तृतीय पुरस्कार (1)	20 हजार

राज्य स्तर पर

वर्ष में एक बार	प्रथम पुरस्कार (1)	2.5 लाख
	द्वितीय पुरस्कार (1)	1.5 लाख
	तृतीय पुरस्कार (1)	1 लाख

सपनों को साकार बनाएं– कृषक उपहार योजना अपनाएं

अपने पास की कृषि उपज मण्डी समिति, कार्यालय से सम्पर्क करें

राजस्थान सरकार

कृषि / ग्रुप–2 / विभाग

–: आज्ञा :–

राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1961 की धारा 34–ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में कृषक उपहार योजना लागू करने के लिये राज्य सरकार निम्न अनुदेश प्रदान करती है:–

1. **योजना का तात्पर्य** :–

   1. कृषि उपज को E-Nam के माध्यम से विक्रय करने तथा E-Payment के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु एवं कृषकों को अपनी उपज का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की जा रही है।
   2. यह योजना राज्य के उन सभी व्यक्तियों पर प्रभावी होगी जो अपनी कृषि उपज को E-Nam के माध्यम से विक्रय करेगें, उन्हें E-Nam पोर्टल के माध्यम से उपहार कूपन का नम्बर जारी किया जायेगा।
   3. यह योजना वर्ष 2021–22 से प्रारम्भ होगी।
   4. ई–नाम पोर्टल के माध्यम से कृषि उपज विक्रेता को उसके द्वारा विक्रय की गयी उपज की ऐसी विक्रय पर्ची पर एक उपहार कूपन का नम्बर जारी किया जावेगा, जिस पर मण्डी शुल्क देय होगा।
   5. इस योजना पर होने वाला समस्त व्यय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा।

2 **योजना की क्रियान्विति** :–

   1. इस योजना का क्रियान्वयन निदेशक, कृषि विपणन के निर्देशन में कृषि विपणन विभाग द्वारा किया जावेगा।
   2. निर्धारित अवधि में योजना के चालू होने के संबंध में निदेशक द्वारा जनसम्पर्क निदेशालय के माध्यम से दो दैनिक समाचार पत्रों में इस ज्ञापन की विज्ञप्ति जारी की जायेगी, जिसमें योजना की निर्धारित अवधि न्यूनतम विक्रय मूल्य, विक्रेता विशेष को लाटरी पद्वति द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों का विवरण और मण्डी समितियों द्वारा जारी उपहार कूपनों की लाटरी खोले जाने की तिथि स्थान एवं समय का विवरण अंकित होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में लाटरी ड्रा निकाले जाने की तिथि, स्थान एवं समय में परिवर्तन किया जा सकता है, जिनकी सूचना उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराकर सर्व साधारण को इसकी जानकारी दी जायेगी। ऐसी सूचना जिला कलेक्टर, तहसील, कृषि विपणन विभाग के मण्डी कार्मिकों, पंचायत समितियों एवं मण्डी समितियों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

3. इस योजना में कृषि विपणन विभाग के अधीन प्रत्येक खण्ड को एक इकाई माना जावेगा। उपहार कूपन प्रत्येक खण्ड के लिये अलग–अलग क्रमांक में जारी होगे। पुरस्कार निकाले जाने की प्रक्रिया संबंधित ड्रा समिति करेगी।

3 योजना के अन्तर्गत पुरस्कार :–

1. कृषक उपहार योजना प्रक्रिया में वर्णित पुरस्कार।

मण्डी स्तर पर

	गेट पास की विक्रय पर्चियों पर	E-Payment की विक्रय पर्चियों पर
प्रत्येक छः माह में	प्रथम पुरस्कार (1) 25 हजार	प्रथम पुरस्कार (1) 25 हजार
	द्वितीय पुरस्कार (1) 15 हजार	द्वितीय पुरस्कार (1) 15 हजार
	तृतीय पुरस्कार (1) 10 हजार	तृतीय पुरस्कार (1) 10 हजार

खण्ड स्तर पर

प्रत्येक छः माह में	प्रथम पुरस्कार (1)	50 हजार
	द्वितीय पुरस्कार (1)	30 हजार
	तृतीय पुरस्कार (1)	20 हजार

राज्य स्तर पर

वर्ष में एक बार	प्रथम पुरस्कार (1)	2.5 लाख
	द्वितीय पुरस्कार (1)	1.5 लाख
	तृतीय पुरस्कार (1)	1 लाख

2. पुरस्कार की राशि पुरस्कार विजेता को उनके बैंक खाते के माध्यम से दी जावेगी।

4. अधिसूचित कृषि उपज विक्रेताओं को उपहार कूपन जारी किया जानाः–

1. कृषक उपहार योजना में जारी किये जाने वाले कूपन इस हेतु निर्धारित E-Nam Software के माध्यम से जारी किये जायेगे।
2. विक्रेता को कृषक उपहार कूपन क्रमांक उस मण्डी समिति के सचिव द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें, जिस मण्डी समिति के मण्डी यार्ड/गौण मण्डी यार्ड/निजी मण्डी यार्ड में कृषि उपज का विक्रय हुआ हो।
3. विक्रित कृषि उपज के विक्रय मूल्य पर प्रति रू. 10,000 की राशि पर एक उपहार कूपन क्रमांक अथवा इसके गुणक पर निर्धारित संख्या में उपहार कूपन नम्बर निर्धारित E-Nam Software द्वारा किये जा सकेगें।
5. **पुरस्कारों हेतु ड्रा निकाला जानाः–** कम्प्यूटर में सभी कूपनों के नम्बर इंद्राज कराने के उपरान्त लॉटरी, विभाग द्वारा निर्धारित Software से निकाली जाएगी। योजना के पुरस्कारों का ड्रॉ राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा निकाला जावेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगेः–

मण्डी स्तर पर

	गेट पास की विक्रय पर्चियों पर	E-Payment की विक्रय पर्चियों पर
प्रत्येक छः माह में	प्रथम पुरस्कार (1) 25 हजार	प्रथम पुरस्कार (1) 25 हजार
	द्वितीय पुरस्कार (1) 15 हजार	द्वितीय पुरस्कार (1) 15 हजार
	तृतीय पुरस्कार (1) 10 हजार	तृतीय पुरस्कार (1) 10 हजार

मण्डी स्तर पर

- क्षैत्रीय संयुक्त/उप निदेशक या प्रतिनिधि —सदस्य
- अध्यक्ष/प्रशासक मण्डी समिति —अध्यक्ष
- सचिव मण्डी समिति —सदस्य सचिव

खण्ड स्तर पर

प्रत्येक छः माह में	प्रथम पुरस्कार (1) 50 हजार
	द्वितीय पुरस्कार (1) 30 हजार
	तृतीय पुरस्कार (1) 20 हजार

खण्ड स्तर पर:-

- खण्ड मुख्यालय की मण्डी का प्रशासक/अध्यक्ष —अध्यक्ष
- खण्ड मुख्यालय की मण्डी का सचिव —सदस्य
- क्षैत्रीय संयुक्त/उप निदेशक —सदस्य सचिव

राज्य स्तर पर

वर्ष में एक बार	प्रथम पुरस्कार (1) 2.5 लाख
	द्वितीय पुरस्कार (1) 1.5 लाख
	तृतीय पुरस्कार (1) 1 लाख

राज्य स्तर पर:-

- प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग अध्यक्ष
- प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सदस्य
- निदेशक, कृषि विपणन विभाग सदस्य सचिव

उक्त वर्णित ड्रा समितियों में एक ही अधिकारी के दो पदों पर कार्यरत होने की स्थित में मण्डी स्तरीय समिति एवं खण्ड स्तरीय समिति के संबंध में निदेशक, कृषि विपणन विभाग तथा राज्य स्तरीय समिति के संबंध में प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि द्वारा किसी अन्य अधिकारी का मनोनयन किया जा सकेगा।

6. <u>लॉटरी ड्रा में निकाले गये उपहार कूपनों के प्रति उपहार</u> :–

1. पुरस्कार प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि से 30 दिन के पश्चात् पुरस्कार प्रदान कर दिया जावेगा, बशर्ते इसमें कोई विवाद नहीं हो। प्रत्येक पुरस्कार राशि का भुगतान संबंधित मण्डी समिति द्वारा पुरस्कार विजेता को किया जावेगा। योजनान्तर्गत दी जाने वाली संपूर्ण पुरस्कार राशि संबंधित को अदा की जायेगी। इस पुरस्कार राशि पर देय आयकर आदि राशि का भुगतान संबंधित मण्डी समिति द्वारा वहन किया जावेगा। पुरस्कार राशि व योजना पर किये गये व्यय का पुनर्भरण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जावेगा।

7. <u>विवादों का निपटारा एवं न्यायिक क्षेत्राधिकार</u> :–

1. कृषक उपहार योजना में विवादों का निस्तारण निदेशक, कृषि विपणन विभाग द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये किया जायेगा।
2. निदेशक, कृषि विपणन के निर्णय की अपील 30 दिवस में प्रमुख शासन सचिव, कृषि को प्रस्तुत की जा सकेगी। प्रमुख शासन सचिव, कृषि द्वारा 30 दिवस में निर्णय पारित करना आवश्यक होगा। पारित निर्णय अन्तिम होगा, जिसे मानने के लिये संबंधित पक्षकार बाध्य होगे।

8. <u>योजना क्रियान्वयन हेतु धनराशि की व्यवस्था</u>:–

योजना के क्रियान्वयन अर्थात् उसके प्रचार–प्रसार, मुद्रण, पुरस्कार तथा Software निर्माण एवं इत्यादि आदि पर व्यय होने वाली समस्त धनराशि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी विकास निधि से वहन की जायेगी।

9. <u>निदेशक को दिशा–निर्देशन की शक्तियां</u> :–

योजना के भलीभांति संचालन के लिये इस नियमों के अधीन रहते हुए निदेशक अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं मण्डी समितियों को समुचित दिशा निर्देश जारी कर सकेंगें।

10. <u>योजना के प्रावधानों में छूट</u>:–

राज्य सरकार कृषक उपहार योजना के प्रावधानों में आवश्यकता होने पर छूट प्रदान कर सकेगी।

(बृज गुप्ता)
उप शासन सचिव,
कृषि ग्रुप–2

योजना की क्रियान्वति के दिशा–निर्देश

कृषक उपहार योजना की क्रियान्वित सम्बन्धी निर्देशः–

1. उपहार कूपनों के लिए प्रत्येक श्रेणी की मण्डियों को एक इकाई माना जावेगा।
2. उपहार कूपन मुख्य मण्डी यार्ड सहित समस्त गौण मण्डी एवं निजी मण्डी यार्डो में भी निर्धारित E-Nam Software के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेगे।
3. प्रथम योजना के ड्रा निर्धारित समय अवधि उपरान्त विभिन्न स्तर पर गठित समिति द्वारा निकाला जायेगा तथा उसके परिणामों की सूचना राजस्थान दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जायेगी।
4. पुरस्कार राशि कृषक के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी।
5. समस्त मण्डी सचिवों द्वारा योजना के विस्तृत प्रचार–प्रसार पेमपलेट पोस्टर्स, योजना के फोल्डर पेंटिंग व बेनर द्वारा करवाया जायेगा साथ ही सचिव द्वारा ग्राम सभाओं एवं पंचायत समिति की बैठको हाट व मेलों, कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शन व प्रदर्शनियों में भाग लेकर प्रचार सामग्री वितरित की जायेगी।
6. पुरस्कारों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद दृष्टिगत होने पर उसकी विस्तृत जानकारी, सचिव कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निदेशालय को दी जायेगी। विवाद में निदेशक, कृषि विपणन द्वारा 30 दिवस में निर्णय पारित किया जायेगा, जिसकी अपील प्रमुख शासन सचिव, कृषि को प्रस्तुत की जा सकेगी। प्रमुख शासन सचिव, कृषि का निर्णय अन्तिम होगा।
7. मण्डी सचिव कृषकों को उनकी उपज E-Nam पोर्टल पर विक्रय करने हेतु प्रेरित करेगें तथा विक्रय की विक्रय पर्ची जारी करना सुनिश्चित् करेगें। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होगी।
8. योजना बाबत् किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उसके सम्बन्ध में क्षैत्रीय संयुक्त/उप निदेशक या निदेशालय में तत्काल सम्पर्क कर उसका निराकरण किया जा सकेगा।
9. योजना के प्रचार–प्रसार सम्बन्धी खर्चो के लिए प्रत्येक मण्डी समिति द्वारा रूपये 50000/ (अक्षरे पचास हजार) की राशि व्यय की जा सकेगी।
10. विक्रेता कृषक द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाईल नम्बर पर कृषक उपहार कूपन क्रमांक के नम्बर का Text Message किया जायेगा।
11. मण्डी समिति द्वारा E-Nam पर जारी विक्रय पर्ची पर कृषक उपहार कूपन क्रमांक जारी किया जा सकेगा।

(सोहन लाल शर्मा)
निदेशक
कृषि विपणन विभाग

क्रमांकः दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महा प्रबंधक (प्रशासन) राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
2. सचिव राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
3. समस्त क्षैत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
4. समस्त शाखा प्रभारी, निदेशालय, जयपुर।
5. प्रभारी योजना शाखा, मुख्यालय जयपुर को योजना की मोनिटरिंग हेतु।
6. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति।

उप निदेशक योजना
कृषि विपणन

कृषक उपहार योजना में वार्षिक व्यय राशि

- योजना प्रचार–प्रसार पर प्रत्येक मण्डी को 50,000
  50,000×145 = 72,50,000
- मण्डी स्तर पर पुरस्कार राशि (प्रत्येक 03 माह में)
  प्रथम पुरस्कार 25000×2×2×145 = 1,45,00,000
  द्वितीय पुरस्कार 15000×2×2×145 = 87,00,000
  तृतीय पुरस्कार 10,000×2×2×145 = 58,00,000
- खण्ड स्तर पर पुरस्कार राशि (प्रत्येक 06 माह में)
  प्रथम पुरस्कार 50,000×2×10 = 10,00,000
  द्वितीय पुरस्कार 30,000×2×10 = 6,00,000
  तृतीय पुरस्कार 20,000×2×10 = 4,00,000
- राज्य स्तर पर पुरस्कार राशि (वार्षिक)
  प्रथम पुरस्कार 2,50,000×1 = 2,50,000
  द्वितीय पुरस्कार 1,50,000×1 = 1,50,000
  तृतीय पुरस्कार 1,00,000×1 = 1,00,000

- योजना पर कुल वार्षिक व्यय राशि रू. 3,87,50,000 मात्र